भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 529

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

सीआरएस लाइसेंस के लिए लंबित आवेदन

529. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रसार भारती, आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) में स्वीकृत और वास्तविक कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसमें संविदा आधार पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उक्त सभी संगठनों में मानव संसाधन परिवर्तन प्रक्रिया की स्थिति क्या है और इस प्रक्रिया की समय-सीमा और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की कुल संख्या के आंकड़े क्या हैं और सीआरएस लाइसेंस के लिए लंबित आवेदनों की संख्या क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर सरकार के बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्प प्रतिनिधित्व वाले भाषाई क्षेत्रों में सीआरएस संचालन का विस्तार करने के लिए अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): प्रसार भारती में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 45,791 है। लेकिन हाल के वर्षों में, प्रसारण और मीडिया के संचालन की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। तदनुसार, कार्यबल की आवश्यकताएं भी बदली हैं। वर्तमान में, दूरदर्शन में 5,545 नियमित कर्मचारी हैं और आकाशवाणी में 9,648 नियमित कर्मचारी हैं।

कार्यबल की नियुक्ति कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। वर्तमान में, प्रसार भारती में 1,574 संविदा कर्मचारी हैं। प्रसार भारती अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन करता है जिसमें आवधिक मूल्यांकन, प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास शामिल होता है।

सरकार ने पूरे देश में 540 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को मंजूरी दी है। 144 आवेदन जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

देश में नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के सशक्तिकरण के लिए, सरकार ने 'भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी शुरू की है। 50.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह स्कीम 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. नए स्थापित सीआरएस को तीन महीने तक प्रचालनरत रहने के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत स्टेशनों को पुराने उपकरणों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
3. कार्यशालाओं, वेबिनारों और सम्मेलनों के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता ।
4. सीआर हितधारक आपस में एक दूसरे से सीख सकें इसके लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों को जोड़ना।

समय-समय पर अद्यतन किए गए बजटीय आवंटन सहित अनुमोदित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट: https://mib.gov.in/ministry/our-wings/broadcating-wing पर उपलब्ध है।

*****